राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

S.B. Criminal Misc. Petition No.654/2016

Gaurav Sharma S/o Sh. Daya Shankar Sharma aged 36 years R/o 793, Vyas Building, Tadkeshwar Ji Ka Mandir, Choura Rasta, Jaipur.

...Accused-Petitioner

Versus

1.State of Rajasthan through P.P.

2.Pushpendra Rajput S/o Sher Singh by caste Rajput R/o Near Ganesh Gate, Karauli (Raj.)

Complainant-Respondent

आदेश दिनांक : **31 मार्च , 2017**

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री मुन्ना लाल, उप निरीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) रेंज सेल भरतपुर
व्यक्तिश: उपस्थित.

-

अनुसंधान अधिकारी श्री मुन्ना लाल, उप निरीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) रेंज सेल भरतपुर ने व्यक्तिश: उपस्थित होकर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी 1. कमरूद्दीन उर्फ कल्ली पुत्र वसीर 2. श्री इफ्तकार अहमद पुत्र श्री अबरार अहमद 3. श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा 4. श्री जयेन्द्र सिंह पुत्र भी निर्भय सिंह 5. श्री बृजलाल डिकोलिया पुत्र श्री हरसीलाल मीणा 6. श्री विजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री प्रताप सिंह गुर्जर 7. श्री बाबू लाल मीणा एवं 8. श्री रूपनाराण चंदेल के विरूद्ध अपराध

RAJASTHAN HIGH COURT

धारा-120 बी सपठित धारा-379,411,420,467,468,471 व 414 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र पेश किये जाने का आदेश हो चुका तथा याची अयूब खान के विरूद्ध अपराध साबित नहीं पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध आरोप पत्र पेश नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में याचिका प्रभावशून्य हो गयी है।

तदनुसार आवश्यक पड़ने पर पुन: नवीन याचिका पेश करने के याची के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए यह याचिका प्रभावशून्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है। उक्त स्थिति में संलगन स्थगन प्रार्थना पत्र भी एतदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा)

<u>अनिलशर्मा/-M-161</u>

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते